

प्ररूप-ख

[देखिए नियम 9(3),(4) और (6)]

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू

क्रमांक-राजस्व/2017/578-582

दिनांक-30.05.2017

### संपरिवर्तन आदेश

आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृत मे धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम,2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है,जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति का नाम सहित तथा पूरा पता-  
महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ जिला चूरू
2. क्या आवेदक अनुसुचित जाति या अनुसुचित जनजाति का सदस्य है- नहीं।
3. संपरिवर्तन भूमि का व्यौरा-  
(क) ग्राम- सांखणताल -ग्र. पंचायत सांखणताल तहसील का नाम-राजगढ  
(ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कूल क्षेत्रफल -  
ग्राम रोही सांखणताल के खसरा नम्बर 409 रकबा 4.43 हैक्टर  
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर मे या वर्गमीटर मे)-  
ग्राम रोही सांखणताल के खसरा नम्बर 409 रकबा 4.43 हैक्टर में से 4050 वर्गमीटर टिप्पणी- अकृषित प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति सलोन है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन- शैक्षणिक संस्थान
5. संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर-5 रुपये प्रति वर्गमीटर
6. चालान की संख्या और तारीख जमा करायी गयी प्रीमीयम की रकम-  
चालान संख्या 0016987275 दिनांक 29.05.2017 राशि 20250 रुपये।
7. चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम-

\_\_\_\_\_नहीं

8. चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम—

-----नहीं-----

9. क्या आदेश विनियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन किया गया है—नहीं

10. अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो— भूमि खाली है।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्ययीन होगा—

(क) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करवायी गई प्रीमीयम धनराशि समपहृत हो जावेगी।

(ग) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग कृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(घ) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

(ङ) संपरिवर्तित भूमि में निर्माण सड़क के मध्य से 50 मीटर छोड़कर किया जावेगा।

क्रमांक-राजस्व / 2017

प्रतिलिपी-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चूरू
2. तहसीलदार राजगढ़
3. उप पंजीयक राजगढ़
4. ग्राम पंचायत सांखणताल
5. आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू

  
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी  
रिम्नांक-20/05.2017

  
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी  
रिम्नांक-20/05.2017